



बिहार सरकार

**बिहार सरकार**  
**राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग**  
**अंचल अधिकारी का कार्यालय**  
 Sonpur, Saran

**Dublicate Copy**  
 28/03/2024

**आदेश**

**जिला :** Saran **अंचल :** Sonpur  
**दाखिल खारिज केस संख्या :** 2087 **वित्तीय वर्ष :** 2022 - 2023

**तिथि**  
 24-Mar-2023

**आदेश पर की**  
**गई कारवाई**

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा खरीका, थाना सं० 82

खाता सं०	प्लॉट/खेसरा सं०	रकबा
445	470	0 एकड़, 3.6 डिसमील, 0 हेक्टर

का बिक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
ASHOK KUMAR SINGH	पिता/बाप/अबू	DHARMNATH SINGH
SURENDRA KUMAR SINGH	पिता/बाप/अबू	LATE RAMLAGAN SINGH
UPENDRA KUMAR SINGH	पिता/बाप/अबू	LATE RAMLAGAN SINGH
RADHA CHARAN SINGH	पिता/बाप/अबू	LATE RAMLAGAN SINGH
NAGENDRA KUMAR SINGH	पिता/बाप/अबू	LATE RAMLAGAN SINGH

है। जिन्होंने निबंधित बिक्री, बिक्री-केवाला संख्या- 18548, दिनांक- 15/02/2016 के द्वारा आवेदक को बिक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
अशोक कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
सुरेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
उपेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
राधाशरण सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह
नागेन्द्र कुमार सिंह	पिता/बाप/अबू	स्व रामलगन सिंह

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं/नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आलोक में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती है।

अतः वार्षिक लगान **20 रुपये** अलावे सेस के साथ नामान्तरण **स्वीकृत** किया जाता है ।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है। ह0 कर्मचारी पंजी II में आवश्यक संशोधन के पश्चात एक प्रति कार्यालय में वापस करें ।

Digitally Signed by :  
VISHWAJEET SINGH  
अंचलाधिकारी  
Sonpur